

कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय
मांग संख्या 1
कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

(` करोड़)

	वास्तविक2015-2016			बजट2016-2017			संशोधित2016-2017			बजट2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	15300.75	33.18	15333.93	35952.83	30.86	35983.69	48779.38	61.12	48840.50	52575.57	79.43	52655.00
<i>वसूलियां</i>	-37.89	...	-37.89	-9000.00	...	-9000.00	-10800.00	...	-10800.00
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	15262.86	33.18	15296.04	35952.83	30.86	35983.69	39779.38	61.12	39840.50	41775.57	79.43	41855.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01 सचिवालय	94.10	...	94.10	115.15	...	115.15	115.91	...	115.91	119.00	...	119.00
1.02 अंतरराष्ट्रीय सहयोग	29.60	...	29.60	30.18	...	30.18	30.61	...	30.61	31.48	...	31.48
1.03 अन्य संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	161.09	0.50	161.59	325.33	0.56	325.89	290.63	0.47	291.10	322.61	0.43	323.04
<i>जोड़- सचिवालय</i>	<i>284.79</i>	<i>0.50</i>	<i>285.29</i>	<i>470.66</i>	<i>0.56</i>	<i>471.22</i>	<i>437.15</i>	<i>0.47</i>	<i>437.62</i>	<i>473.09</i>	<i>0.43</i>	<i>473.52</i>
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. फसल बीमा योजना												
2.01 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	2983.04	...	2983.04	5500.00	...	5500.00	13240.04	...	13240.04	9000.00	...	9000.00
2.02 कृषि कल्याण कोष में कृषि कल्याण उप-कर का अंतरण	3596.28	...	3596.28	9000.00	...	9000.00
2.03 कृषि कल्याण कोष से पूरा किया गया	-3596.28	...	-3596.28	-9000.00	...	-9000.00
<i>निवल</i>	<i>2983.04</i>	<i>...</i>	<i>2983.04</i>	<i>5500.00</i>	<i>...</i>	<i>5500.00</i>	<i>13240.04</i>	<i>...</i>	<i>13240.04</i>	<i>9000.00</i>	<i>...</i>	<i>9000.00</i>
3. किसानों को अल्पावधि ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी												
3.01 किसानों को अल्पाधिक ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी	15000.00	...	15000.00	13619.13	...	13619.13	15000.00	...	15000.00
3.02 कृषि कल्याण कोष में अंतरण	5203.72	...	5203.72	1800.00	...	1800.00
3.03 कृषि कल्याण कोष से पूरा किया जाएगा	-5203.72	...	-5203.72	-1800.00	...	-1800.00
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>15000.00</i>	<i>...</i>	<i>15000.00</i>	<i>13619.13</i>	<i>...</i>	<i>13619.13</i>	<i>15000.00</i>	<i>...</i>	<i>15000.00</i>
4. बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस)	48.46	...	48.46	80.00	...	80.00	145.69	...	145.69	199.30	...	199.30
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	3031.50	...	3031.50	20580.00	...	20580.00	27004.86	...	27004.86	24199.30	...	24199.30
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												

(` करोड़)

	वास्तविक2015-2016			बजट2016-2017			संशोधित2016-2017			बजट2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
सांविधिक और विनियामक निकाय												
5. पादप किस्मों और किसानों के अधिकारों के लिए प्राधिकरण	2.36	...	2.36	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.50	...	3.50
स्वायत्त निकाय												
6. राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान	6.42	...	6.42	13.10	...	13.10	6.12	...	6.12	6.68	...	6.68
7. राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज)	3.15	...	3.15	8.57	...	8.57	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	9.57	...	9.57	21.67	...	21.67	12.12	...	12.12	12.68	...	12.68
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
8. दामोदर घाटी निगम	0.45	...	0.45	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
अन्य												
9. राज्य भूमि विकास बैंकों के डिबेंचर	...	12.30	12.30	25.00	25.00	...	25.00	25.00
10. सूखा एवं कम बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में डीज़ल सब्सिडी	7.40	...	7.40	7.40	...	7.40
11. अनाज और सब्जियों के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष	660.00	...	660.00
जोड़-अन्य	660.00	12.30	672.30	7.40	...	7.40	7.40	25.00	32.40	...	25.00	25.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	672.38	12.30	684.68	32.57	...	32.57	23.02	25.00	48.02	16.18	25.00	41.18
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
12. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- प्रति बूंद अधिक फसल हरित क्रांति	1555.94	...	1555.94	2340.00	...	2340.00	1990.00	...	1990.00	3400.00	...	3400.00
13. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3940.01	...	3940.01	5400.00	...	5400.00	3550.00	...	3550.00	4750.00	...	4750.00
14. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1162.34	...	1162.34	1700.00	...	1700.00	1280.00	...	1280.00	1720.00	...	1720.00
15. राष्ट्रीय जैविक कृषि संवर्धन परियोजना	14.26	1.22	15.48	2.00	1.00	3.00	...	0.50	0.50	...	1.00	1.00
16. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास	113.00	...	113.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
17. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना	139.93	0.03	139.96	360.00	2.00	362.00	418.00	1.00	419.00	450.00	2.00	452.00
18. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास और जलवायु परिवर्तन	198.11	...	198.11	225.00	...	225.00	190.00	...	190.00	223.00	...	223.00
19. परम्परागत कृषि विकास योजना	218.91	...	218.91	297.00	...	297.00	120.00	...	120.00	350.00	...	350.00
20. कृषि वानिकी पर राष्ट्रीय परियोजना	75.00	...	75.00	50.00	...	50.00	100.00	...	100.00
21. राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन	305.81	...	305.81	500.00	...	500.00	376.00	...	376.00	403.00	...	403.00
22. राष्ट्रीय बागवानी मिशन	1695.68	0.79	1696.47	1615.00	5.00	1620.00	1655.10	4.90	1660.00	2316.00	4.00	2320.00
23. राष्ट्रीय बीज एवं पौध रोपण सामग्री का उपमिशन	142.45	0.59	143.04	179.70	0.30	180.00	184.50	0.50	185.00	185.00	15.00	200.00
24. पौध संरक्षण एवं पौध संगरोध पर उपमिशन	64.25	5.22	69.47	19.00	6.00	25.00	27.00	13.00	40.00	44.00	6.00	50.00
25. कृषि विस्तार पर उपमिशन	597.05	...	597.05	635.00	...	635.00	590.50	...	590.50	912.00	...	912.00
26. सूचना प्रौद्योगिकी	63.38	...	63.38	80.00	...	80.00	38.00	...	38.00	65.00	...	65.00
27. कृषि यंत्रिकरण पर उपमिशन	139.19	12.53	151.72	165.00	15.00	180.00	358.25	14.75	373.00	525.00	25.00	550.00

(` करोड़)

	वास्तविक2015-2016			बजट2016-2017			संशोधित2016-2017			बजट2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
28. कृषि संगणना एवं फसल सांख्यिकी पर समेकित स्कीम	218.58	...	218.58	210.00	...	210.00	188.00	...	188.00	225.00	...	225.00
29. राष्ट्रीय कृषि तकनीक अवसंरचना	51.19	...	51.19
30. कृषि सहकारिता पर समेकित स्कीम	121.70	...	121.70	130.00	...	130.00	130.00	...	130.00	130.00	...	130.00
31. कृषि विपणन												
31.01 समेकित कृषि विपणन योजना	570.30	...	570.30	836.90	1.00	837.90	1069.00	1.00	1070.00	1189.00	1.00	1190.00
31.02 कृषि कल्याण कोष में अंतरण	200.00	...	200.00
31.03 कृषि कल्याण कोष से मिला	-200.00	...	-200.00
	<i>निवल</i> 570.30	...	570.30	836.90	1.00	837.90	1069.00	1.00	1070.00	1189.00	1.00	1190.00
जोड़-हरित क्रांति	9756.14	20.38	9776.52	12529.60	30.30	12559.90	10324.35	35.65	10360.00	13687.00	54.00	13741.00
32. वास्तविक वसूली	-37.89	...	-37.89
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	11274.19	20.38	11294.57	14869.60	30.30	14899.90	12314.35	35.65	12350.00	17087.00	54.00	17141.00
कुल जोड़	15262.86	33.18	15296.04	35952.83	30.86	35983.69	39779.38	61.12	39840.50	41775.57	79.43	41855.00
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	16.83	...	16.83
2. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	0.91	0.91
जोड़-सामान्य सेवाएं	16.83	0.91	17.74
आर्थिक सेवाएं												
3. कृषि कार्य	5206.45	...	5206.45	6756.97	...	6756.97	14166.37	...	14166.37	10691.85	...	10691.85
4. मृदा और जल संरक्षण	18.65	...	18.65	20.96	...	20.96	21.64	...	21.64	22.51	...	22.51
5. कृषि वित्तीय संस्थान	15000.00	...	15000.00	13619.13	...	13619.13	13500.00	...	13500.00
6. सहकारिता	121.70	...	121.70	117.00	...	117.00	117.00	...	117.00	117.00	...	117.00
7. अन्य कृषि कार्यक्रम	597.48	...	597.48	821.25	...	821.25	1027.31	...	1027.31	1149.60	...	1149.60
8. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	93.96	...	93.96	115.15	...	115.15	115.91	...	115.91	119.00	...	119.00
9. फसल कार्य पर पूंजी परिव्यय	...	19.97	19.97	...	24.86	24.86	...	30.22	30.22	...	49.44	49.44
10. अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
11. सहकारिता के लिए ऋण	...	12.30	12.30	25.00	25.00	...	25.00	25.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	6038.24	32.27	6070.51	22831.33	25.86	22857.19	29067.36	56.22	29123.58	25599.96	75.44	25675.40
अन्य												
12. पूर्वोत्तर क्षेत्र	760.10	...	760.10	1190.67	...	1190.67	4112.61	...	4112.61
13. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	9202.94	...	9202.94	12344.50	...	12344.50	9506.21	...	9506.21	12047.86	...	12047.86
14. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	4.85	...	4.85	16.90	...	16.90	15.14	...	15.14	15.14	...	15.14
15. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	5.00	5.00	...	4.90	4.90	...	3.99	3.99
जोड़-अन्य	9207.79	...	9207.79	13121.50	5.00	13126.50	10712.02	4.90	10716.92	16175.61	3.99	16179.60

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	15262.86	33.18	15296.04	35952.83	30.86	35983.69	39779.38	61.12	39840.50	41775.57	79.43	41855.00
	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
1. सार्वजनिक भूमि विकास बैंक के डिबेंचर	12.30	...	12.30	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	12.30	...	12.30	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
अन्य												
2. नाबार्ड	6300.00	6300.00
जोड़-अन्य	6300.00	6300.00
जोड़	12.30	...	12.30	...	6300.00	6300.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00

अल्पावधि ऋण दिये जाने के लिए नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को व्याज सहायता दी गई है। इस व्यय को आंशिक रूप से कृषि कल्याण कोष से वित्तपोषित किया जा रहा है।

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालयों, विभागीय कैंटीन एवं मंत्री (कृषि), भारतीय दूतावास रोम, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों को योगदान और विभिन्न राज्यों में अवस्थित विभाग के अंतर्गत विभिन्न संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के खर्च के बाबत किया गया है।

2. **फसल बीमा योजना:** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को 1.4.2016 से शुरू किया गया था। इस योजना को पूर्व की योजनाओं यथा राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस), मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एमएनएआईएस) को मिलाकर बनाया गया था। इस विभाग को दावा आधारित बीमा योजना से प्रीमियम आधारित प्रणाली के लिए अप्रन्ट सन्सिडी में माइग्रेट किया गया है। चालू वित्त वर्ष में खरीफ और रबी 2016-17 के लिए पीएमएफबीवाई के अंतर्गत अप्रन्ट प्रीमियम सन्सिडी के साथ पिछले वर्षों की दायित्वा (प्रमुख रूप से खरीफ 2015 एवं रबी 2015-16) का भी भुगतान किया गया है। यह मांग संचालित स्कीम है इसलिए इसकी बाबत लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि कुल फसल क्षेत्र के कवरेज में 50% का इजाफा करने का निर्णय लिया गया। इस व्यय को कृषि कल्याण कोष से वित्तपोषित किया जा रहा है।

3. **किसानों को अल्पावधि ऋण के लिए व्याज सन्सिडी:** यह स्कीम बजट अनुमान 2016-17 से वित्त सेवा विभाग से कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में अंतरित कर दी गई थी। इस स्कीम के तहत किसानों को रियायतकृत व्याज दर पर

4. **बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस):** इस स्कीम के तहत नेफेड, केंद्रीय वेयर हाऊसिंग निगम, राष्ट्रीय भारतीय उपभोक्ता सहकारी समिति परिसंघ और लघु किसान कृषि व्यापार मंच को केंद्रीय अभिकरणों के रूप में प्राधिकृत किया गया है ताकि वे मूल्य समर्थन स्कीम के तहत तिलहनों और दलहनों का प्रापण कार्य करने के साथ-साथ किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलवाने की दिशा में कार्य कर सकें।

5. **पादप किस्मों और किसानों के अधिकारों के लिए प्राधिकरण:** यह एक सांविधिक निकाय है जिसे विश्व व्यापार संगठन से हुए करार के तहत दायित्वों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ 2001 में अधिनियम के तहत गठित किया गया। इसमें पादप प्रजातियों, किसानों के अधिकारों और पादपों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी प्रणाली कायम करने का प्रावधान किया गया है।

6. **राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान:** इस संस्थान का प्रावधान विविध और बदलती हुई कृषि-जलवायुगत परिस्थितियों में पर्यावरण के मद्देनजर संधारणीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन परिपाटियों को बढ़ावा देने, जैव सुरक्षा एवं इनक़शन प्रबंधन तथा केंद्र एवं राज्य सरकार को नीतिगत सहायता देने के लिए किया गया है।

7. **राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज):** कृषिगत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विस्तार अधिकारियों, प्रबंधकों, वैज्ञानिकों, और प्रशासकों द्वारा प्रबंधन तकनीकी कौशल के अधिप्रापण को सुग्राही बनाया गया है ताकि संधारणीय कृषिगत और मात्स्यिकी परिपाटियों पर किसानों और मछुवारों को बेहतर कारगर सहायता और सेवाएं उपलब्ध करा सके।

9. **राज्य भूमि विकास बैंकों के डिबेंचर:** यह प्रावधान भूमि विकास बैंकों के डिबेंचरों में निवेश के लिए है।

12. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- प्रति बूंद अधिक फसल:** यह योजना सिंचाई आपूर्ति शृंखला यथा जल संसाधनों, वितरण नेटवर्क और फार्म स्तरीय एप्लीकेशन में पूर्णरूपेण समाधान की व्यवस्था होगी। इस कार्यक्रम में कृषिगत उत्पादन और उत्पादकता में इजाफा करने और जल के किफायती उपयोग पर विशेष जोर दिया जाएगा।

13. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:** यह कार्यक्रम कृषिगत क्षेत्रक में उच्च प्रगति करने, किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य देने, खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देकर कृषि के समेकित विकास करने, संधारणीय कृषि, तिलहनों, आयल पाम के उत्पादन तथा कृषिगत विस्तार करने के लिए है।

14. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन:** देश को खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए चावल, गेहूँ, दलहनों, मोटे अनाजों और व्यापारिक फसलों में इजाफा करने के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए प्रावधान किया है। दालों के लिए 70 प्रतिशत आबंटन किया गया है।

15. **राष्ट्रीय जैविक कृषि संवर्धन परियोजना:** यह प्रावधान जैविक और पोषहारिये जैव स्रोतों यथा जैव उर्वरकों, जैव खादों, संधारणीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता के लिए कम्पोस्ट के उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा देने, जैविक कृषि में बैकल्पिक आदानों के रूप में जैव कीटनाशकों, जैव नियंत्रक कारकों आदि का उपयोग करने के लिए है।

16. **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य शृंखला विकास:** इसके तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जैविक कृषि को सुग्राही बनाने के साथ साथ उसके विकास और संवर्धन का प्रावधान किया गया है।

17. **मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना:** रसायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए नए मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसटीएल)/सचल एसटीएल /उर्वरकता गुणवत्ता प्रयोगशालाओं (एफक्यूसीएल) को स्थापित करने उनको सुधाने का प्रावधान किया गया है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के तहत वृहत-सूक्ष्म पोषहारिये प्रबंधन, भू-विविधता पर आधारित यथोचित भू उपयोग के साथ मृदा उर्वरक विवरण को तैयार करके स्थान एवं फसल विशेष संधारणीय मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, अपशेष प्रबंधन और जैविक कृषि प्रचालनों की भी व्यवस्था की गई है। इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी शामिल है, जिसमें किसानों को मृदा की पोषक स्थिति संबंधी सूचना दी गई है और मृदा के स्वास्थ्य एवं इसकी उर्वरता में सुधार लाने के लिए पोषक तत्वों की यथोचित मात्रा लेने की सिफारिश की गई है।

18. **वर्षा आधारित क्षेत्र विकास और जलवायु परिवर्तन:** समेकित कृषि प्रणाली (संबद्ध क्षेत्रकों सहित बहुफसल, चक्रीय फसल, अंतरफसल और मिश्रित कृषि अभ्यासों सहित) पर जोर देने को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है ताकि किसान अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने के साथ साथ सूखे, बाढ़ अथवा उग्र मौसम से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों का प्राद्योगिकियों, सक्षम/जीवन संरक्षण सिंचाई के जारिये उनके प्रतिकूल असर को सामना कर सकें। वर्षा सिंचित विकास स्कीम को देश के 27 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है और समेकित कृषि प्रणाली व्यवस्था के तहत लगभग 80000 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है।

19. **परम्परागत कृषि विकास योजना:** इस स्कीम को मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के विस्तारित घटक के रूप में 1.4.2015 में शुरू किया गया था। इस स्कीम के तहत समूहगत आधार और प्रतिभागात्मक प्रमाणन प्रत्याभूति प्रणाली के द्वारा जैविक ग्राम को गोद लेकर जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। 2017-18 तक 50 एकड़ के 10000 समूहों को गठित किया जाएगा। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक क्लस्टर 5 लाख एकड़ भूमि कवर करेगा। इसमें विभिन्न घटक यथा एकत्रण, किसान प्रशिक्षण और किसान जानार्जन यात्राएं शामिल हैं।

20. **कृषि वानिकी पर राष्ट्रीय परियोजना:** कृषि वानिकी विकास पर विशेष ध्यान दिये जाने के लिए राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति को विभिन्न कृषि वानिकी घटकों के बीच समन्वयन, अभिसरण और सहक्रिया कायम करने के लिए 2014 में प्रतिपादित किया गया था।

21. **राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन:** यह प्रावधान राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपाम मिशन के लिए है। यह मिशन वनस्पति से प्राप्त होने वाले तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि को बढ़ावा देता है। यह मिशन विशिष्ट लक्ष्यों के साथ 3 मिनि-मिशनों अर्थात् तिलहन संबंधी मिनी मिशन -I, ऑयलपाम संबंधी मिनी-मिशन-II और वृक्षजनित तिलहन संबंधी मिनी-मिशन-III के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। एनएमओओपी के सभी तीनों मिनी-मिशनों के तहत सभी पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं।

22. **राष्ट्रीय बागवानी मिशन:** यह प्रावधान समेकित बागवानी विकास मिशन के लिए है ताकि पशु और अग्र संपर्क सुनिश्चित करते हुए बागवानी क्षेत्र के लिए समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा, आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन एवं किसानों के कौशल को बढ़ाना, सूखे के असर को कम करना, जीवन रक्षक सिंचाई, फसलरोपणों तक किसानों को कम करना तथा बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए किसानों की मंडी तक पहुंच शामिल है। इस मिशन में विभिन्न क्रियाकलाप जैसे नारियल विकास बोर्ड, बागवानी विकास बोर्ड, उत्पादन एवं फसलोपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास, शीत भंडारगृहों एवं बागवानी उत्पादों हेतु भंडारगृहों के निर्माण, विस्तार, आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत निवेश राजसहायता, प्रौद्योगिकी विकास और बागवानी उत्पाद के लिए अंतरण आदि शामिल हैं।

23. **राष्ट्रीय बीज एवं पौध रोपण सामग्री का उपमिशन:** इस मिशन का उद्देश्य किसानों के प्रयोजनार्थ गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता एवं पादपों की किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सकेंद्रित, समयबद्ध और समेकित कार्यसूचना के साथ प्रमाणित/गुणवत्तायुक्त बीजों के उत्पादन तथा वितरण के लिए मौजूदा अवसंरचना का विकास एवं सुदृढीकरण करना है। राष्ट्रीय बीज नीति 2002 में उल्लेख है कि विषयगत बीजों एवं रोपण सामग्री आदि के सभी आयातों को निर्बाध रूप से करने की अनुमति प्रदान की जाएगी, जो एक्जिम नीति दिशा-निर्देशों तथा समय समय पर यथासंशोधित आवश्यक पादप, फल एवं बीज (भारत में आयात का विनियम) आदेश, 1989 के अध्याधीन होगा।

24. **पौध संरक्षण एवं पौध संगरोध पर उपमिशन:** इस उप-मिशन का प्रमुख उद्देश्य कीटों, बीमारियों, खरपतवार, कृमि, कृतक आदि से कृषिगत फसलों की गुणवत्ता एवं उपज को होने वाले नुकसान को कम करना है तथा हमारी कृषि जैव-सुरक्षा की हानिकारक प्रजातियों के आक्रमण तथा प्रसार से रक्षा करना है। यह उप-मिशन वैश्विक मंडियों के लिए भारतीय कृषि जिंसों के निर्यात को सुविधाजनक बनाता है और विशेष रूप से पादप संरक्षण रणनीतियों एवं तकनीकों से संबंधित उत्तम कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है।

25. **कृषि विस्तार पर उपमिशन:** इस मिशन का उद्देश्य कृषि समुदाय विशेषतः छोटे एवं सीमांत किसानों की आय एवं आजीविका को बेहतर बनाने के लिए सभी के लिए विस्तार तथा दूर दराज तक पहुंच बनाना है तथा शीघ्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि को प्राप्त करने में योगदान देना है।

26. **सूचना प्रौद्योगिकी:** यह प्रावधान सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कृषि सूचना प्रणाली और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का सुदृढीकरण/संवर्धन करता है।

27. **कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन:** यह प्रावधान कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन के लिए है जो फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों के प्रयोजनार्थ काम करता है। यह प्रगतिशील किसान, तकनीशियनों, राज्य सरकारों के प्रत्याशियों, कृषि उद्योग निगमों, कृषि संस्थानों एवं इंजीनियरिंग उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह प्रावधान किसान के खेतों पर बागवानी उपकरणों और फसलोपरांत प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन के साथ नए विकसित कृषि उपकरणों का प्रदर्शन भी करता है।

28. **कृषि संगणना एवं फसल सांख्यिकी पर समेकित स्कीम:** यह प्रावधान समेकित कृषि संगणना एवं सांख्यिकी योजना के लिए है। इस स्कीम में कृषि गणना, कृषि आर्थिक नीति और विकास का अध्ययन तथा कृषि संबंधी सांख्यिकी में सुधार आदि की पुनर्गठित स्कीमें शामिल हैं।

30. **कृषि सहकारिता पर समेकित स्कीम:** यह प्रावधान समेकित कृषि सहकारी योजना के लिए है। इस स्कीम में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और सहकारी शिक्षा तथा विकास की पुनर्गठित स्कीमें शामिल हैं।

31. **कृषि विपणन:** इस प्रावधान में मौजूदा उप-योजनाएं शामिल हैं अर्थात् (i) कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई)- वैज्ञानिक भंडारण क्षमता के निर्माण को शामिल करता है। इस योजना के तहत 50 एमटी की भंडारण क्षमता और 900 अन्य विपणन अवसंरचनाएं मंजूर की गई (मांग आधारित योजना) (ii) विपणन अनुसंधान एवं सूचना नेटवर्क (एमआरआईएन) - उत्पादकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए मंडी आंकड़ों का राष्ट्रव्यापी सूचना नेटवर्क स्थापित करने के प्रयोजनार्थ (iii) एगमार्क प्रेडिंग सुविधाओं का सुदृढीकरण (iv) किसानों को मंडियों से जोड़ने के लिए व्याज मुक्त उद्यम पूंजीगत सहायता (बीसीए) और परियोजना विकास सुविधा (पीडीएफ) के माध्यम से कृषि-व्यवसाय विकास (एबीडी) का कार्यान्वयन किया गया (v) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएएम) (vi) वर्ष 2016-17 से देशभर में चुनिंदा 400 मंडियों में कृषि-जिसों के व्यापार के लिए शुरू किए गए एनएएम साफ्टवेयर ई-प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के इच्छुक राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में थोक मंडियों के लिए एक सामान्य ई-मंडी प्लेटफॉर्म की स्थापना के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय कृषि मंडी (एनएएम) तथा साम्यता अनुदान एवं ऋण गारंटी निधि योजना-साम्यता अनुदान पाने और वित्तीय संस्थानों जो इस योजना के कार्यान्वयन के लिए संचयी कृषि कल्याण कोष से बिना जमानत के 1.00 करोड़ रुपये से 200 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करते हैं, के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने हेतु किसान उत्पादक कंपनियों को सक्षम बनाना।